



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271935  
CG-DL-E-20042026-271935

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1892]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1892]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1963(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में आमडी सावनेर राष्ट्रीय राजमार्ग -७५३ के कन्हान नदी पर पहुंच मार्ग सह पुलीया का बांधकाम कि.मी. २५५/३०० से कि.मी. २५९/१३० तक रोड पर निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन नागपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में आमडी सावनेर राष्ट्रीय राजमार्ग - ७५३ के कन्हान नदी पर पहुंच मार्ग सह पुलीया का बांधकाम कि.मी. २५५/३०० से कि.मी. २५९/१३० के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नागपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सावनेर					
गांव का नाम: बावनगाव					
1	177	निजी	कृषक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
2	178	निजी	कृषक	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
3	179/1	निजी	कृषक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
4	184	निजी	कृषक	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
5	186/1	निजी	कृषक	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
6	199/1	निजी	कृषक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: कोदेगाव					
7	53	निजी	कृषक	0.3482 (हेक्टेयर)	0.3482
8	54	निजी	कृषक	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
9	56/A, 56/B	निजी	कृषक	0.474 (हेक्टेयर)	0.474
10	57	निजी	कृषक	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
11	58/1, 58/2	निजी	कृषक	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
गांव का नाम: खापा					
12	105/1, 105/2	निजी	कृषक	0.62 (हेक्टेयर)	0.62
13	106	निजी	कृषक	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
14	106	निजी	कृषक	0.18 (हेक्टेयर)	0.18

15	107	निजी	कृषक	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
16	107	निजी	कृषक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
17	108	निजी	कृषक	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
18	111/1, 111/2	निजी	कृषक	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
19	119	निजी	कृषक	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
20	12	निजी	कृषक	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
21	121	निजी	कृषक	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
22	123	निजी	कृषक	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
23	13	निजी	कृषक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
24	14/1	निजी	कृषक	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
25	14/2/1, 14/2/23	निजी	अकृषक	0.245 (हेक्टेयर)	0.245
26	22/2	निजी	कृषक	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
27	23/2	निजी	कृषक	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
28	293	निजी	कृषक	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
29	93	निजी	कृषक	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
30	94	निजी	कृषक	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
31	98	निजी	कृषक	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
32	99	निजी	कृषक	0.345 (हेक्टेयर)	0.345
<b>Total</b>					<b>8.6052</b>

[फा. सं. NH-12014/85/2016-MAH(P-6)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2026

**S.O. 1963(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **Construction of Major Bridge across Kanhan river with its approaches from Km. 255/300 to Km. 259/130 on Amdi to Saoner Road NH -753 in the District of Nagpur in the state of MAHARASHTRA**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Dy. Collector, Land Acquisition, Nagpur** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an

opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Construction of Major Bridge across Kanhan river with its approaches falling NH-753 in the stretch of land from Km. 255/300 to Km. 259/130 in the District of Nagpur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NAGPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Saoner</b>					
<b>Village: Bawangaon</b>					
1	177	Private	Agriculture	0.07 (Hectare )	0.07
2	178	Private	Agriculture	0.07 (Hectare )	0.07
3	179/1	Private	Agriculture	0.01 (Hectare )	0.01
4	184	Private	Agriculture	0.29 (Hectare )	0.29
5	186/1	Private	Agriculture	0.46 (Hectare )	0.46
6	199/1	Private	Agriculture	0.02 (Hectare )	0.02
<b>Village: Kodegaon</b>					
7	53	Private	Agriculture	0.3482 (Hectare )	0.3482
8	54	Private	Agriculture	0.21 (Hectare )	0.21
9	56/A, 56/B	Private	Agriculture	0.474 (Hectare )	0.474
10	57	Private	Agriculture	0.004 (Hectare )	0.004
11	58/1, 58/2	Private	Agriculture	0.069 (Hectare )	0.069
<b>Village: Khapa</b>					
12	105/1, 105/2	Private	Agriculture	0.62 (Hectare )	0.62
13	106	Private	Agriculture	0.29 (Hectare )	0.29
14	106	Private	Agriculture	0.18 (Hectare )	0.18
15	107	Private	Agriculture	0.22 (Hectare )	0.22
16	107	Private	Agriculture	0.05 (Hectare )	0.05
17	108	Private	Agriculture	0.29 (Hectare )	0.29
18	111/1, 111/2	Private	Agriculture	0.22 (Hectare )	0.22
19	119	Private	Agriculture	0.22 (Hectare )	0.22
20	12	Private	Agriculture	0.37 (Hectare )	0.37
21	121	Private	Agriculture	0.44 (Hectare )	0.44
22	123	Private	Agriculture	0.5 (Hectare )	0.5
23	13	Private	Agriculture	0.05 (Hectare )	0.05

24	14/1	Private	Agriculture	0.3 (Hectare )	0.3
25	14/2/1, 14/2/23	Private	Non Agriculture	0.245 (Hectare )	0.245
26	22/2	Private	Agriculture	0.34 (Hectare )	0.34
27	23/2	Private	Agriculture	0.63 (Hectare )	0.63
28	293	Private	Agriculture	0.44 (Hectare )	0.44
29	93	Private	Agriculture	0.35 (Hectare )	0.35
30	94	Private	Agriculture	0.34 (Hectare )	0.34
31	98	Private	Agriculture	0.14 (Hectare )	0.14
32	99	Private	Agriculture	0.345 (Hectare )	0.345
<b>Total</b>					<b>8.6052</b>

[F. No. NH-12014/85/2016-MAH(P-6)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director